



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27072020-220696
CG-DL-E-27072020-220696

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 282]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 27, 2020/ श्रावण 5, 1942

No. 282]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 27, 2020/SRAVANA 5, 1942

केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण

आदेश

नई दिल्ली, 21 जुलाई, 2020

फा. सं. No.CEA-PS-12-14(21)/1/2018-PSPA-II Division.—जैसा कि आवेदक, “स्प्रिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड”, जिसका पंजीकृत कार्यालय, यूनिट नं एफएफ -48 ए, पहली मंजिल, ओमेक्स स्क्वायर, प्लॉट नंबर 14, जसोला जिला केंद्र, नई दिल्ली -110025, भारत, में स्थित है, ने 30.214 किमी 230 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए “230/33 केवी मुलानुर पूलिंग सब स्टेशन (तिरुपुर) से 400/230 केवी पुगलुर सब स्टेशन तक” विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के तहत अनुमोदन हेतु आवेदन किया है।

और जैसा कि भारत सरकार के केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने अपने पत्र सं CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division-Part(1) I/3669/2019 दिनांक 18.01.2019 द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 68 की उपधारा (i) के तहत “स्प्रिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड” को 30.214 किमी 230 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन “230/33 केवी मुलानुर पूलिंग सबस्टेशन (तिरुपुर) से 400/230 केवी पुगलुर सबस्टेशन” तक के निर्माण हेतु पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था।

और जैसा कि आवेदक ने अब विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा- 164 के अंतर्गत उसे समस्त शक्तियां प्रदान किए जाने का आग्रह किया है जो सरकार द्वारा स्थापित या अनुरक्षित टेलीग्राफ के प्रयोजन से या कार्यों हेतु इस प्रकार स्थापित या अनुरक्षित की जाने वाली टेलीग्राफ लाइनें और पोस्ट स्थापित करने के संदर्भ में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885, के तहत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास हैं।

इस योजना के अंतर्गत शामिल पारेषण लाइनें तमिल नाडु के निम्न गांवों, तहसीलों और जिलों के अंदर से, ऊपर से, पास से और बीच से गुजरेंगी।

230 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन, 230/33 केवी मुलानुर पूलिंग सबस्टेशन (तिरुपुर) से 400/230 केवी पुगलुर सबस्टेशन तक

जिला	तहसील	गांव का नाम
तिरुपुर (तमिल नाडु)	धारापुरम	इदकल्पादि, मेर्कुपल्लियम, कुल्लकट्टपट्टी, नोचीवलासु, ओलम्पालयम, वंजिवालसु, कनिवाडी, सेनापतिपलायम
करूर (तमिल नाडु)	अरावाकुरुची	कटुस्वामीपलायम, आलमपलायम, अलमर्थोपात्ति, पेरियामदगुदालुर, छिन्नमदगुदालुर, कलिपलायम, कलिपलायम पुदुर, पुलगौन्दापलैयम, पिल्लयार्पलायम, पुडुप्पालायम, चिन्ना तिरुमंगलम, मलैयंदिपट्टी, वेट्टयारपालियम, आण्डिचेत्तीपडयं, परुत्तिकट्टुपलैयम, वंगीतपुरम (तेनीलाई), नदंडै, गाँधी नगर, पुलनकालीवालासु, सम्मानदामपलाइयॉ, अडिरेडुपीपालियम, मेरकुनेदुंगुर, पनाइपलायम, पशुपतिपलायम, परमत्ति, वेलप्पाकावंदनुर, मोळाप्पालाइयॉ

“स्प्रंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड” ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003, की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत, “स्प्रंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड” को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंभों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- आवेदक, “स्प्रंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड”, को 30.214 किमी 230 केवी सिंगल सर्किट ट्रांसमिशन लाइन “230/33 केवी मुलानुर पूलिंग सबस्टेशन (तिरुपुर) से 400/230 केवी पुगलुर सबस्टेशन” तक के निर्माण का दायित्व सौंपा जाता है। कार्य का विवरण भारत के राजपत्र दिनांक: मार्च 9- मार्च 15, 2019, में प्रकाशित है, तथा भारत के राजपत्र दिनांक: 15 फरवरी -21 फरवरी, 2020 में शुद्धिपत्र प्रकाशित किया गया है।
- आवेदक संबंधित केंद्र/राज्य सरकार के मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्वधीन है।
- “स्प्रंग रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड”, को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

पी. सी. कुरील, सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./144/2020]

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

ORDER

New Delhi, the 21st July, 2020

F. No. CEA-PS-12-14(21)/1/2018-PSPA-II Division.—Whereas, the applicant ‘Sprng Renewable Energy Private Limited’, having its registered office at Unit No FF-48 A, First Floor, Plot No. 14, Jasola District Centre, New Delhi-110025, India, has applied for grant of authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003, for construction of 30.214 km of 230 kV Single Circuit Transmission line from “230/33 kV Mulanur pooling substation (Tirupur) to 400/230 kV Pugalur Substation”.

And whereas Central Electricity Authority, Ministry of Power, vide letter no. CEA-PS-12-14(20)/1/2018-PSPA-II Division-Part(1) I/3669/2019 dated 18.01.2019 had granted prior approval to ‘Sprng Renewable Energy Private Limited’ under Section 68 of the Electricity Act, 2003, for construction of 30.214 km of 230 kV single circuit transmission line from “230/33 kV Mulanur Pooling Sub Station (Tirupur) to 400/230 kV Pugalur Sub Station”.

And whereas the applicant has now requested to confer upon him all the powers under Section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885, with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained for the works.

The transmission line covered under the scheme will pass through, over, around, and between the following villages, tehsils and districts in the state of Tamil Nadu:

230 kV Single Circuit Transmission line from “230/33 kV Mulanur pooling substation (Tirupur) to 400/230 kV Pugalur Substation”.

District	Tehsil	Name of Village
Thirupur (Tamil Nadu)	Dharapuram	Edakalpadi, Merkupalaiyam, Kullakattupatti, Nochivalasu, Olampalayam, Vanjivalasu, Kannivadi, Senapatipalayam.
Karur (Tamil Nadu)	Aravakuruchi	Kattuswamipalayam, Alampalayam, Alamarathupatti, Periyamadagudalur, Chinnamadagudalur, Kallipalayam, Kallipalayam Pudur, Pullagoundanpalaiyam, Pillayarpalayam, Puduppalayam, Chinna Tirumangalam, Malaiyandipatti, Vettaiyarpalaiyam, Andichettipaiyam, Paruttikattupalaiyam, Vengitapuram (Tennilai), Nadandai, Gandhi Nagar, Pulankalivalasu, Semmandampalaiyam, Adireddypalaiyam, Merku Nedungur, Panaipalayam, Pasupatipalayam, Paramatti, Velappakavundanur, Molappalaiyam.

‘Sprng Renewable Energy Private Limited’ had complied with the MoP’s procedure for obtaining the authorization under Section 164 of Electricity Act, 2003, for the above scheme. Now, therefore, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under Section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to ‘Sprng Renewable Energy Private Limited’ for laying above transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885, with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained by the Government or to be established or maintained, subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed line.
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility of construction of 30.214 km of 230 kV Single Circuit Transmission line from “230/33 kV Mulanur pooling substation (Tirupur) to 400/230 kV Pugalur Substation”. The details of the work have been published in the Gazette of India dated March 9- March 15, 2019, and subsequently in a corrigendum published in the Gazette of India dated February 15- February 21, 2020.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Chief Electrical Inspector of respective States/Central Government.
- (vi) The approval is subject to compliance by the Applicant of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003, and the rules made thereunder.

- (vii) 'Sprng Renewable Energy Private Limited' shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

P. C. KUREEL, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./144/2020]